112

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

## बिहार सरकार
## अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संचिका संख्या–अ०स०क०–01–96/2018....979........../ दिनांक–09.06.2020

सेवा में,

महालेखाकार
बिहार, पटना।

द्वारा:– *वित्त विभाग

विषय:– अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु पूर्व सृजित 19 विभिन्न के पदों का प्रत्यार्पण एवं कुल 78 विभिन्न पदों के पुनर्गठन एवं पद सृजन की स्वीकृति।

आदेश:– स्वीकृत।

अल्पसंख्यकों के विशेष कल्याणार्थ वर्ष 1984 में बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना का गठन किया गया। निगम की स्थापना के बाद वर्ष–1985 में लोक उद्यम ब्यूरो (वित्त विभाग), बिहार सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के 19 पदों का सृजन किया गया था। जिसके विरूद्ध वर्तमान में पदाधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। पूर्व में सृजित पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

| क्र०सं० | पदनाम | सातवाँ पुनरीक्षित वेतनमान | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | लेखा पदाधिकारी | 67700–208700 | 01 |
| 2. | प्रोग्राम पदाधिकारी | 67700–208700 | 01 |
| 3. | निजी सहायक | 35400–112400 | 03 |
| 4. | सहायक | 35400–112400 | 02 |
| 5. | लेखा सहायक | 35400–112400 | 01 |
| 6. | कैशियर | 25500–81100 | 01 |
| 7. | दिनचर्या लिपिक | 19900–63200 | 02 |
| 8. | टंकक | 19900–63200 | 01 |
| 9. | चालक | 19900–63200 | 02 |
| 10. | अनुसेवक | 18000–56900 | 05 |
| | | कुल | 19 |

2. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना के प्रशासनिक ढाँचा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मुख्यालय स्तर पर पूर्व से सृजित 19 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए आवश्यकता आधारित निम्नलिखित कुल 78 पदों के सृजन के संलेख ज्ञापांक सं0– 548 दिनांक– 26.02.2020 में सन्निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–08.04.2020 की बैठक में मद संख्या–01 के रूप में सम्मलित करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु 78 विभिन्न निम्न पदों के पुर्नगठन एवं पद सृजन के स्वीकृति प्रदान की गई है :–

| क्र. सं. | पदनाम | पद सृजन हेतु पदों की संख्या | नियत मानदेय पर भर्ती की प्रक्रिया | अनुबन्ध हेतु नियत मानदेय |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | उप प्रबन्ध निदेशक | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 80,000 से 1,00,000 |
| 2 | प्रबन्धक (प्रशासन) | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 70,000 से 1,00,000 |
| 3 | प्रबन्धक (योजना) | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 70,000 से 1,00,000 |
| 4 | मुख्य लेखा पदाधिकारी | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 70,000 से 1,00,000 |
| 5 | कम्पनी सचिव | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 70,000 से 1,00,000 |
| 6 | सहायक प्रबन्धक (विधि एवं वसूली) | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 50,000 से 80,000 |
| 7 | सहायक प्रबन्धक (ऋण) | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 50,000 से 80,000 |
| 8 | प्रबन्ध निदेशक के निजी सहायक | 1 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 25,000 से 40,000 |
| 9 | लेखा कार्यपालक | 4 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 25,000 से 40,000 |
| 10 | ऋण कार्यपालक/स्थापना कार्यपालक/विधिकार्यपालक/वसूली कार्यपालक/भंडार कार्यपालक | 14 | प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर | 25,000 से 40,000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | निगम जिला प्रभारी (क्षेत्रीय कार्यालय हेतु) | 38 | प्रतिनियुक्ति / अनुबंध के आधार पर | 25,000 से 40,000 |
| 12 | चालक | 2 | अनुबंध / बाह्य स्त्रोत के आधार पर | 20,000 से 30,000 |
| 13 | परिचारी | 12 | NonWorking निगम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर | 18,000 से 25,000 |
| | कुलः– | 78 | | |

3. कर्मियों के नियत मानदेय पर कुल 78 विभिन्न पदों के लिए प्रतिवर्ष व्यय 3,59,40,888/– (तीन करोड़ उनसठ लाख चालीस हजार आठ सौ अठासी रू0) होगा। जिसका वहन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना द्वारा अपने संसाधान श्रोत से किया जायेगा। (परिशिष्ट 'क' संलग्न)

4. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, लिमिटेड, पटना में पूर्व से सृजित 19 पदों का प्रत्यार्पण किया जाता है जिससे प्रतिवर्ष मो0 96,80,628 (छियानवें लाख अस्सी हजार छः सौ अठाईस) रूपये की व्यय की बचत होगी (परिशिष्ट 'ख' संलग्न)

5. वित्त विभाग में गठित प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 29.11.2019 की बैठक की कार्यवाही का ज्ञापांक–549 दिनांक 20.01.2020 की कंडिका 28 (a) के आलोक में द्वारा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड, पटना मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु परिचारी की सेवा अन्य NonWorking निगम से प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

6. क्षेत्रीय कार्यालय हेतु जिलों में पदस्थापित कर्मी के वेतनादि / मानदेय का भुगतान संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कलयाण पदा0 के माध्यम से अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय से सम्बद्ध जिला के कर्मी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा॰ के नियंत्रण में रहेंगे।

7. उपर्युक्त कंडिका (2) में वर्णित कुल 78 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–अ०सं०क०-01-96/2018....579........../

पटना, दिनांक...05.06.2020

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / उप सचिव वित्त विभाग / योजना विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग / को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, बिहार,पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
4.6.20